

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 22/2023

प्रार्थीगण:-

1. किशनाराम पुत्र मिश्राराम जाति मेघवाल निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम
2. अशोक पुत्र अर्जुनराम
3. ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम
4. सरोज पुत्री अर्जुनराम
5. श्रीमति मीमादेवी पत्नी अर्जुनराम जातियान मेघवाल निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
6. गिरधारीराम पुत्र शेराराम
7. गोबरराम पुत्र शेराराम जातियान मेघवाल निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा
8. श्रीमति सायरी देवी पत्नी बालूराम जाति मेघवाल निवासी भावी तहसील बिलाड़ा
9. यूको बैंक शाखा भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी - श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता।

अप्रार्थी सं.- 1 से 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

अप्रार्थी सं. 10 - सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :- 23/06/20

संक्षेप में संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.3510 हैक्टेयर आयी हुई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.3510 हैक्टेयर के दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2346 रकबा 2.2814 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी है जो माठ एक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम भावी (जे.बी.) की सरहद में खसरा नम्बर 2346 रकबा 2.2814 हैक्टेयर के दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2459 गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है, उक्त गैर मुमकीन रास्ते पर मुडिया सड़क बनी हुयी है। खसरा नम्बर 2459 गैर मुमकीन रास्ता के उत्तरी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2346 रकबा 2.2814 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु पहुंचता है, इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.3510 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2346 रकबा 2.2814 हेक्टेयर में स्थित मार्क ABCD स्थित आम रास्ता से होकर आते जाते हैं तथा इसी ABCD के रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2344 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2346 के मार्क ABCD भाग के



सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2344 में जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2346 के ABCD भाग से ही भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2344 में जाने हेतु प्रार्थी अपने ट्रेक्टर, मवेशी, छकड़ा इत्यादि लेकर जाता है। इस प्रकार प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2346 के ABCD भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षों से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है, इस कारण प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 2346 के ABCD भाग के रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2346 के ABCD भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षों से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। भूमि खसरा नम्बर 2346 के ABCD भाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थी बन्द करने पर आमदा है। अतः अप्रार्थी को आम रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। प्रार्थी का यह ABCD मार्क का रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरुद्ध खसरा नम्बर 2346 के ABCD मार्क के रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 2346 रकबा 2.2814 हेक्टेयर में स्थित ABCD मार्क की 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।



अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.3510 हेक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2346 रकबा 2.2814 हेक्टेयर के ABCD भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 2344 में पहुँचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकॉर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। खसरा नम्बर 2346 रकबा 2.2814 हेक्टेयर में स्थित ABCD मार्क के रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.3510 हेक्टेयर में स्थित आने-जाने वाले भूमि खसरा नम्बर 2346 के ABCD भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध पैदा नही करे तथा न ही अपने एजेन्ट या नौकर आदि से करावे।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा सं. 2344 ग्राम भावी जाटाबास में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आस पडौस के खेत से आना जाना करते हैं। नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि एबीसीडी पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थी के लिए प्रस्तावित रास्ते की भूमि में खसरेवार संलग्न सूची अनुसार (विस्तृत भूअनि रिपोर्ट) रकबा जायेगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 460000 रूपये प्रति हैक्टर अनुसार दो गुणा राशि संलग्न सूची अनुसार है। उक्त भूमि असिंचित है। तथा ग्रेवल सडक पर है।

| क्रस | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रास्ता उपयोग हेतु रकबा | हिस्सा | डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि |
|------|--------------------------|------------|------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. | गोबरराम पुत्र शेराराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/3 | 14873 |
| 2. | गिरधारीराम पुत्र शेराराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/3 | 14873 |
| 3. | अशोक पुत्र अर्जुनराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/30 | 1487 |
| 4. | ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/30 | 1487 |
| 5. | मीमादेवी पत्नी अर्जुनराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/30 | 1487 |
| 6. | सरोज पुत्री अर्जुनराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/30 | 1487 |
| 7. | हमानराम पुत्र अर्जुनराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/30 | 1487 |
| 8. | सायरीदेवी पत्नी बालुराम | 2346 | 0.0485 हैक्टर | 1/6 | 7437 |

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 2344 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 23.02.2025 मय संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा 2344 में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नंबर 2346 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नंबर 2344 में पहुचता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.02.2025 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न

सहायक कम्प्यूटर
एवं उप खण्ड अधिकारी
दिल्ली

नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 23.02.2025 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।



ND
(मुद्रला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/06/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



ND
(मुद्रला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा